सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

117

एक सौ सत्रहवाँ प्रतिवेदन

[राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 60वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई]

(27 मार्च 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना (iii)

प्राक्कथन (iV)

प्रतिवेदन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 60वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों / टिप्पणियों पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई। 01

परिशिष्ट

परिशिष्ट-एक समिति के 60वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर। 04

परिशिष्ट-दो सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की 23.03.2023 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण। 14

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2022-23)

श्री **गिरीश चन्द्र** - **सभापति**

सदस्य

2. डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनो को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 60वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई- कार्रवाई संबंधी यह एक सौ सत्रहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति का 60वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) 15.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 60वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाते हुए 09.11.2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने 23.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली **गिरीश चन्द्र**

23 मार्च,2023 **सभापति**

02 चैत्र,**1945 (शक)** **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023), लोक सभा

प्रतिवेदन

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 60वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा की- गई-कार्रवाई।

समिति का यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) के 60वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली (एनसीएम्) के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले से संबंधित है, और इसे 15 दिसंबर, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. उक्त प्रतिवेदन की सभी टिप्पणियों/सिफारिशों से संबंधित की-गई-कार्रवाई उत्तर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से दिनांक 9 नवंबर, 2022 को प्राप्त हो गए हैं। 60वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

3. समिति ने क्रमशः 08 फरवरी, 2018 और 15 दिसंबर, 2021 को प्रस्तुत अपने मूल प्रतिवेदनों अर्थात् 19 वें प्रतिवेदन, 16वीं लोक सभा और 60 वें प्रतिवेदन, 17वीं लोक सभा, में यह पाया था कि वर्ष 2011-2012 से की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन सहित वार्षिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर नहीं रखा गया है। विलंब का मुख्य कारण आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर संबंधित पणधारकों/मंत्रालयों से की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त करना और मंत्रिमंडल से

इसका अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाले समय को भी बताया गया था। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, समिति ने एनसीएम अधिनियम, 1992 को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की सिफारिश की थी, ताकि एनसीएम के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय अवधि के भीतर सभा पटल पर रखा जा सके और की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन को अलग से सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। सिफारिश के उत्तर में, मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में बताया है कि वे एनसीएम अधिनियम, 1992 की धारा 13 में उपयुक्त संशोधन के लिए माननीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करेंगे। यह भी बताया गया है कि उक्त मामले की मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। समिति, मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन को नोट करती है और आशा करती है कि मंत्रालय इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा ताकि भविष्य में इस कारण से विलंब न हो।

4. समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रालय/एनसीएम ने भी समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, जिसमें यह बताया गया था कि एनसीएम के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को एक साथ सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि सदन को उक्त संगठन के कार्यकलापों की पूरी जानकारी मिल सके। तदनुसार, मंत्रालय/एनसीएम ने बताया है कि इस मामले में निदेशों के अनुसार, एनसीएम अब वर्ष 2022-23 से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहा है। इससे सीएजी द्वारा एनसीएम के वार्षिक लेखाओं की नियमित रूप से लेखापरीक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। समिति आशा करती है कि मंत्रालय द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों के साथ, वर्ष 2022-2023 से एनसीएम के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर एक साथ सभा पटल पर रखा जाएगा।

5. तथापि, समिति यह नोट कर निराश है कि उनके मूल प्रतिवेदनों में सिफारिश किए जाने के बाद भी, वर्ष 2011-2012 से एनसीएम के अपेक्षित दस्तावेजों को अब तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है। इसके अलावा, मंत्रालय/एनसीएम ने एनसीएम के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के चरणों और इन

दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की अपेक्षित तिथियों के बारे में भी नहीं बताया है। समिति इस तथ्य को गंभीरता से लेती है और यह सिफारिश करती है कि एनसीएम के लंबित दस्तावेजों को यथाशीघ्र सभा पटल पर रखा जाए। समिति को इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली; गिरीश चन्द्र

23 मार्च,2023 सभापति

02 चैत्र,1945 (शक) सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

परिशिष्ट –एक

(*प्रतिवेदन का पैरा 02 देखिए*)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 60वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई

(सिफारिश क्र.सं. 27)

समिति यह नोटकर असंतुष्ट है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने खुद ही यह सुनिश्चित करने पर ध्यान नहीं दिया है कि ऐसे प्रतिवेदनों और लेखाओं को संबंधित लेखांकन वर्ष की समाप्ति के नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर रखा जाए। मंत्रालय के उत्तरों से समिति यह पाती है कि अल्पसंख्यक आयोग ने मंत्रालय को दस्तावेज भेजने में लंबा समय लिया था और मंत्रालय ने भी इस मामले को हल्के में लिया है। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि एनसीएम के वर्ष 2011-12 से अभी तक के वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं, जबकि समिति ने अपने 19वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में इस संबंध में सिफारिश की थी। साथ ही, समिति को इस बात का कोई तर्कसंगत जवाब नहीं मिल सका कि उनके उक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर मंत्रालय की ओर से की गई कार्रवाई उत्तर क्यों नहीं प्रस्तुत किए गए क्योंकि ये उत्तर तभी प्रस्तुत किए गए जब समिति ने मंत्रालय को साक्ष्य के लिए बुलाने का निर्णय लिया। समिति मंत्रालय के इस निरंतर लापरवाहीपूर्ण रवैये से बेहद निराश है कि उन्होंने संसद में अपने दायित्व का पालन नहीं किया है। अतः समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय तीन महीने के अंदर की- गई कार्रवाई उत्तरों को प्रस्तुत न करने के कारण बताए; जैसी समिति की इच्छा थी क्योंकि ऐसा लगता है कि उत्तरों को प्रस्तुत करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकार का उत्तर

समिति द्वारा 19वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन को विलंब से भेजने के कारणों को इस मंत्रालय के दिनांक 20.11.2020 के कार्यालय ज्ञापन के तहत भेजी गई प्रश्न सूची (क्रमांक 1) के उत्तरों में स्पष्ट किया गया है।

तथापि, विलंब से उत्तर भेजने के लिए अत्यंत खेद है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एनसीएम-14011/2/2020-पीपी-एमओएमए ओ दिनांक 9 नवंबर 2022)

(सिफारिश क्र.सं. 28)

समिति ने अपने पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में (19वां प्रतिवेदन 16वीं लोक सभा) में सिफारिश की थी कि एनसीएम के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को एनसीएम अधिनियम की धारा 13 के अनुसार सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। हालांकि, मंत्रालय ने अपने की गई- कार्रवाई उत्तरों में यह तर्क दिया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को उनके लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने से छूट दी गई है। समिति का मत है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को उनके लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने से छूट का यहां प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि समिति का यह सुझाव था कि वे अपने अधिनियम के सांविधिक उपबंध का अनुपालन करें। बाद में, मंत्रालय ने स्वयं ही समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और यह निर्णय किया है कि एनसीएम के वर्ष 2011-12 और उसके बाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को समिति की सिफारिश के मुताबिक सभा पटल पर रखा जाएगा। इस प्रयोजनार्थ एनसीएम ने अलग से वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की लेखापरीक्षा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से कराई है और वार्षिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने के समय इन्हें संबंधित वार्षिक प्रतिवेदनों के साथ संलग्न किया जाएगा।

हालांकि, समिति यह नोट कर निराश है कि एनसीएम के वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से कराने के लिए मंत्रालय/ एनसीएम की ओर से कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए और वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएंडएजी से कराने का यह मामला वर्ष 2020 में शुरू किया गया। अतः समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि इस प्रकार की चूक की पुनरावृति भविष्य में नहीं होनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

लेखापरीक्षा महानिदेशक (केंद्रीय व्यय) के कार्यालय द्वारा एनसीएम के वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गई है। इस स्थिति से लोक सभा सचिवालय, समिति शाखा-दो, सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति को मंत्रालय के दिनांक 28.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2-4/2015-एनसीएम द्वारा अवगत कराया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति संदर्भ के लिए पुन: संलग्न है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा महानिदेशक केंद्रीय व्यय से अनुरोध भी किया है।

मंत्रालय समिति को यह भी जानकारी देना चाहता है कि मामले में निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को अब वर्ष 2022-23 से सहायता अनुदान दिया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा नियमित रूप से सीएजी द्वारा की जाए।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एनसीएम-14011/2/2020-पीपी-एमओएमए ओ दिनांक 9 नवंबर 2022)

(सिफारिश क्र.सं. 29)

समिति का यह सुविचारित मत है कि आयोग के दस्तावेजों को वर्ष 2011-12 से सभा पटल पर न रखे जाने के मामले को किसी भी आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता है। अतः समिति पुरजोर तरीके से यह सिफारिश करती है कि आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को नौ महीने के भीतर सभा पटल पर रखा जाना चाहिए, जैसाकि समिति ने अपने पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में सिफारिश की थी। अपनी प्रक्रिया के अनुसार, सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात, की गई कार्रवाई ज्ञापन को सभा पटल पर रखा जाए। इसके लिए, यदि आवश्यक हो, एनसीएम अधिनियम की धारा-13 में उपयुक्त संशोधन किया जाए। समिति को इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 में उपयुक्त संशोधन के लिए माननीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करेगा।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एनसीएम-14011/2/2020-पीपी-एमओएमए ओ दिनांक 9 नवंबर 2022)

(सिफारिश क्र.सं. 30)

समिति मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तरों से आगे यह भी नोट करती है कि वर्ष 2016- 17 से अब तक एनसीएम के वार्षिक लेखाओं की अलग से लेखापरीक्षा नहीं की गई है। समिति को यह जानकारी दी गई थी कि उनकी प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक वार्षिक लेखांकन वर्ष के लिए किए गए व्यय का आंकड़ा एनसीएम एकत्र करता है और मंत्रालय को भेजता है, जहां वार्षिक विनियोग लेखाओं के रूप में

मंत्रालय के वार्षिक लेखाओं के साथ-साथ एनसीएम व्यय के वार्षिक लेखे मंत्रालय के पीएओ द्वारा तैयार किए जाते हैं। सीएंडएजी द्वारा इन लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाती है और अंततः भारत सरकार के वार्षिक विनियोग लेखाओं के रूप में संसद के पटल पर रखा जाता है। समिति ने साक्ष्य के दौरान यह जानने की इच्छा व्यक्त की थी कि पूर्व के वर्षो में सीएंडएजी द्वारा एनसीएम के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा क्यों की गई और यह भी कि वर्ष 2020 में सीएंडएजी से वर्ष 2016-17 से 2019-20 के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अनुरोध क्यों किया गया था। मंत्रालय/एनसीएम के सचिव/ प्रतिनिधि उस समय उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके और समिति से अनुरोध किया कि दो सप्ताह के भीतर उत्तर भेज दिए जाएंगे। तथापि, मंत्रालय द्वारा अब तक उत्तर नहीं भेजे गए हैं। समिति यह नोट कर निराश है कि मंत्रालय ने समिति को उत्तर भेजने में भी ढुलमुल रवैया अपनाया है।

सरकार का उत्तर

वर्ष 2015-16 से पहले, कोई अलग से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार नहीं किया जाता था, क्योंकि मंत्रालय की समग्र लेखापरीक्षा में ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाती थी।

धारा 13 और 15 के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा और सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 और 19/20 के तहत स्वायत्त निकायों की संव्यवहार लेखापरीक्षा स्वयं लेखापरीक्षा महानिदेशक (केंद्रीय व्यय) द्वारा की जाती है। तथापि, चूंकि लेखापरीक्षा महानिदेशक (केन्द्रीय व्यय) द्वारा वर्ष 2015-16 के बाद कुछ वर्षों तक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, इसलिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा वर्ष 2020 में लेखापरीक्षा महानिदेशक (केंद्रीय व्यय) के कार्यालय से अनियमितताओं का पता लगाने और उन्हें सुधारने के लिए आयोग की लेखाओं सहित एनसीएम द्वारा

अधिदेशित और निष्पादित कार्यों की व्यापक लेखापरीक्षा करने का अनुरोध किया गया था।

जैसा कि सिफारिश सं. 28 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है, वर्ष 2017-18 से 2019-20 के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा डीजीएसीई द्वारा पहले ही की जा चुकी है। इस स्थिति की भी जानकारी इस मंत्रालय के दिनांक 28.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2-4/2015-एनसीएम द्वारा समिति शाखा-दो, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति को दे दी गई थी।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने डीजीएसीई से एनसीएम के वर्ष 2020-21 और 2021-22 की लेखापरीक्षा करने का अनुरोध भी किया है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एनसीएम-14011/2/2020-पीपी-एमओएमए ओ दिनांक 9 नवंबर, 2022)

<u>(सिफारिश क्र. सं. 31)</u>

इसके अलावा, मंत्रालय को साक्ष्य के दौरान सलाह दी गई थी कि अधिक जवाबदेही तय करने के लिए मंत्रालय/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वार्षिक प्रतिवेदन/वार्षिक लेखाओं के संकलन से लेकर दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने तक प्रत्येक चरण को सम्मिलित करते हुए एक लॉजिस्टिक समय-सारणी निर्धारित करनी चाहिए। मंत्रालय/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधि ने समिति को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा समय-सारणी तैयार की जाएगी और इसकी एक प्रति एक सप्ताह के भीतर समिति को भेजी जाएगी। तथापि, समय सारणी की ऐसी कोई प्रति अब तक समिति को नहीं भेजी गई है।

समिति की यह राय है कि प्रशासनिक मंत्रालय, जो संसद में एनसीएम के दस्तावेजों को रखने के लिए जिम्मेदार हैं, को अधिक सतर्कता बरतने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है कि ऐसे प्रतिवेदनों और लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर संसद में रखा जाए। समिति का यह मानना है कि यदि मंत्रालय स्वयं दस्तावेजों के महत्व और इन्हें समय से सभा पटल पर रखे जाने के प्रति इतना निरुत्साहपूर्ण और उदासीन रवैया दिखाता है, तो उन संगठनों और निकायों से अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती जो मंत्रालय से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। समिति इसे प्रशासनिक मंत्रालय की एक गंभीर अनियमितता मानती है, जो निश्चित रूप से संसदीय जिम्मेदारी का परित्याग है और शायद ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। विलंब के लिए बताए गए कारणों के बावजूद, समिति का यह निष्कर्ष है कि जहां तक संसद के प्रति अनिवार्य जिम्मेदारी को पूरा करने का संबंध है, मंत्रालय/एनसीएम में गैर-जवाबदेही का माहौल व्याप्त है। इसलिए, समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि अब से समय-सारणी निर्धारित की जानी चाहिए और एक वरिष्ठ अधिकारी को नियमित आधार पर प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने के लिए समय-सारणी की निगरानी के विशिष्ट कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए। समिति इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 3 माह के भीतर की गई सकारात्मक और निर्णायक कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

<u>सरकार का उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यह बताना चाहता है कि माननीय समिति के निदेशों के अनुपालन में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने से लेकर प्रत्येक चरण को कवर करने वाली समय-सारणी से समिति शाखा-दो को दिनांक 28.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2-4/2015-एनसीएम

के द्वारा अवगत करा दिया गया था। इसकी एक प्रति सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है।

इसके अलावा, विलंब से बचने के लिए, एनसीएम के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिश को प्रारूप मंत्रिमंडल टिप्पण में सम्मिलित किया जाता है और तत्काल संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया जाता है।

तथापि, इसमें सम्मिलित विशिष्ट प्रक्रिया के कारण, नौ माह के समय में की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने की आवश्यकता के अनुपालन में विलंब होता है।

जैसाकि माननीय समिति द्वारा सिफारिश की गई है, मंत्रालय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 में उपयुक्त संशोधन के लिए की गई सिफारिश की जांच करेगा।

मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर मामले की निगरानी की जा रही है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एनसीएम-14011/2/2020-पीपी-एमओएमएओ दिनांक 9 नवंबर, 2022)

<u>(सिफारिश क्र. सं. 32)</u>

समिति ने आगे यह भी पाया कि एनसीएम ने वर्ष 2011-2012 से आयोग के प्रतिवेदनों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिन्हें अब तक दोनों सदनों के पटल पर नहीं रखा जा सका है। समिति का मानना है कि इन दस्तावेजों को संसद में रखने के बाद अपलोड किया जा सकता था। इसलिए, समिति यह जानना चाहती है कि क्या मंत्रालय/एनसीएम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उन्हें

प्रतिवेदनों को संसद में रखे जाने से पहले अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने की अनुमति देता है। यदि नहीं, तो गंभीर खामियों का पता लगाया जाना चाहिए। समिति इस संबंध में उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी जानना चाहती है।

सरकार का उत्तर

वर्ष 2011-12 से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के वार्षिक प्रतिवेदनों को अनजाने में एनसीएम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। हालाँकि, इन्हें अब एनसीएम की वेबसाइट से हटा दिया गया है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एनसीएम-14011/2/2020-पीपी-एमओएमए ओ दिनांक 9 नवंबर, 2022)

(सिफारिश क्र. सं. 33)

समिति नोट करती है कि मंत्रालय निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर नहीं रखने के कारणों को बताते हुए निर्धारित अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या जैसे ही सभा समवेत हो, जो भी बाद में हो, एक विवरण सभा पटल पर रखने के लिए अपने पिछले प्रतिवेदन में की गई सिफारिश का अनुपालन करने में विफल रहा था। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय समिति की सिफारिश के अनुसार इस विवरण को सभा पटल पर रखे। तथापि, इस उपाय का सहारा केवल "अपरिहार्य" कारणों को स्पष्ट करने के लिए ही लिया जा सकता है, जिसके कारण विलंब हुआ और न कि विलंब को सही ठहराने के साधन के रूप में।

सरकार का उत्तर

की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन समेत वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ संसद के सदनों में वार्षिक प्रतिवेदनों को रखने में विलंब के कारणों को इंगित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एनसीएम-14011/2/2020-पीपी-एमओएमए ओ दिनांक 9 नवंबर, 2022)

परिशिष्ट-दो

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)

समिति की *तीसरी* बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 17:10 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. xx xx xx

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 4 मसौदा रिपोर्ट और 8 कार्रवाई की गई मूल प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार और अपनाने के लिए लिया: -

1 -11 xx xx xx

12. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 60वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों टिप्पणियों पर/सरकार द्वारा की-गई- कार्रवाई)

प्रारूप प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया था।

Xx	xx	xx	xx
Xx	xx	xx	xx

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।